

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड (म.प्र.)
// विविध आदेश //

क्रमांक 677/सां.लि./2025

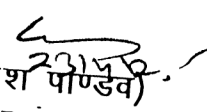
भिण्ड, दिनांक 23/04/2025

मैं उमेश पाण्डव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड, प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से कार्य-विभाजन पत्रक 2024 क्रमांक 47/कार्यविभाजन/सां.अनु./2024 भिण्ड, दिनांक 16.04.2024 (कार्यालयीन विविध आदेश क्रमांक 61/सां.लि./2025 भिण्ड, दिनांक 03.04.2025 के द्वारा संशोधित) में निम्नानुसार संशोधन समाहित करता हूँ-

कार्यविभाजन पत्रक 2024 के पृष्ठ क्रमांक 02 के सरल क्रमांक 01 (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड) की सारणी में मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रविष्टियाँ "तहसील भिण्ड व अटेर के अन्तर्गत घटित दुर्घटना में शरीर एवं सम्पत्ति को हुई क्षति से संबंधित क्लेम प्रकरण एवं उद्भूत समस्त कार्यवाही।" को विलोपित करते हुए कार्यविभाजन पत्रक 2024 के पृष्ठ क्रमांक 04 के सरल क्रमांक 05 (तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड) की सारणी में सिविल खण्ड में स.क्र. 04 निम्नानुसार संयोजित किया जाता है-

"04. तहसील भिण्ड व अटेर के अन्तर्गत घटित दुर्घटना में शरीर एवं सम्पत्ति को हुई क्षति से संबंधित क्लेम प्रकरण एवं उद्भूत समस्त कार्यवाही।"

तदनुसार विविध आदेश जारी किया जाता है। उक्त संशोधित कार्यविभाजन पत्रक तत्काल प्रभावशील होगा।

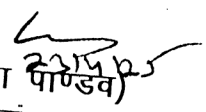

(उमेश पाण्डव)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म.प्र.)

भिण्ड दिनांक: 23/04/2025

पृष्ठांकन क्रमांक 1600/सां.लि./2025

आदेशानुसार प्रतिलिपि:-

01. तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड (म.प्र.)
02. प्रस्तुतकार, न्यायालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड (म.प्र.)
03. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, भिण्ड (म.प्र.)
04. फाइलिंग काउण्टर अनुभाग भिण्ड (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(उमेश पाण्डव)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म.प्र.)